

पत्र संख्या : ७ब/४७०२ यो०ज०स०-०२/२०१२ २५६

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : २६-३-१३

विषय :- मॉग संख्या-५०-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-१०१-सतही जल, उप शीर्ष-३३-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए. आई. बी. पी. केन्द्रांश), विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-५०P470200101330545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट-१ में अंकित उप शीर्ष, विस्तृत शीर्ष एवं विपत्र कोड में दर्शाये गये कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1	५०-लघु सिंचाई विभाग/ ४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	१०१-सतही जल/ ३३-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए. आई. बी. पी. केन्द्रांश)	०५-निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण ५०P470200101330545	- १६.००

शुद्ध आवंटित राशि - ऋणात्मक ₹ सोलह लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-१३ के संशोधित बजट उपबंध ₹ ८५२९.०० लाख (₹ पचासी करोड़ उन्नतीस लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.१९९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होंगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत एवं परिशिष्ट-१ में अंकित कार्यों के विवरण के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(जययप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग—1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 30 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 258 **रॉची, दिनांक :-** 26-3-13
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड; पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/पलामू/मेदिनीनगर/गढ़वा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 258 **रॉची, दिनांक :-** 26-3-13
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशास्त्रा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक—यथोक्त्।

(ओंकार नाथ) (जयप्रकाश भट्टाचार्या)
सहायक अभियंता उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम) (एस० के० शतपथी)
विशेष सचिव प्रधान सचिव

पत्रांक -

५८ / रोची, दिनांक - २६-३-१३

परिशिष्ट Page 1 of 1

मॉग संख्या-५०-लघु सिंचाई विभाग,

मुख्य शीर्ष-४७०२-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-१०१-सतही जल,

उपशीर्ष-३३-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी. केन्द्रांश)

विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-५०P470200101330545

संशोधित बजट उपबंध ₹ ८५२९.०० लाख (₹ पचासी करोड़ उन्नतीस लाख) मात्र

(लाख रु. में)

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2012 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन					अम्युक्ति		
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	प्रत्यर्पण	अतिरिक्त आवंटन	शुद्ध अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटित राशि			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४		
Phase - IV															
१	लघु सिंचाई प्रमंडल, मैदिनिकर	हुसैनाबाद	छत्तरपुर	सुखनदिया नदी के शाखा जोरिया पर श्रृ. चेकडैम निर्माण	47/07.03.11	144.025	0.000	750.00	200.00	0.00	-200.00	550.00			
			विश्रामपुर	सिकियाही नाला पर श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	92.483	8.796								
			हुसैनाबाद	हरही नदी पर श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	142.350	0.000								
			विश्रामपुर	कौख नदी पर श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	68.621	5.010								
			हरिहरगंज	बतरे नदी पर श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	142.118	0.188								
			छत्तरपुर	रसिया नाला पर श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	195.239	0.000								
			छत्तरपुर	गुटगुटवा नाला पर श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	218.986	0.000								
			छत्तरपुर	ढोढराही नाला पर चेकडैम	47/07.03.11	21.532	0.241								
			छत्तरपुर	गुलरिया नाला पर चेकडैम	47/07.03.11	21.507	0.000								
			छत्तरपुर	हेसला नदी पर (मंदेया डोमन के पास) चेकडैम	47/07.03.11	23.762	0.000								
			छत्तरपुर	हदहदवा नाला पर चेकडैम	47/07.03.11	19.355	0.000								
					योग	1089.978	14.235	750.00	200.00	0.00	-200.00	550.00			
२	लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा	गढ़वा	रंका	केदाल नाला पर श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	222.842	0.986	275.00	0.00	34.00	34.00	309.00			
			रमना	पिपरदाहा नाला पर श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	137.448	27.200								
			मझिअँव	सुगवा नाला पर चेकडैम निर्माण	47/07.03.11	50.460	0.000								
			मझिअँव	बलिगढ़वा नाला पर चेकडैम निर्माण	47/07.03.11	35.602	0.000								
			मझिअँव	कसिया नाला पर चेकडैम निर्माण	47/07.03.11	34.612	6.800								
					योग	480.964	34.986	275.00	0.00	34.00	34.00	309.00			
३	लघु सिंचाई प्रमंडल, मैदिनिकर	मैदिनिकर	मनातु	गोहरी नाला पर श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	182.940	0.000	850.00	0.00	150.00	150.00	1000.00			
			पाँकी	बनाई नाला पर श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	100.054	0.000								
			पाँकी	कलोलवा नाला पर श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	192.558	0.000								
			सतबरवा	काइली नदी नाला पर श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	163.503	0.000								
			तरहसी (मनातु)	सपनीनाला पर श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	90.835	0.000								
			तरहसी (मनातु)	बटुआ नाला पर श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	97.882	0.000								
			लेस्लीगंज	देवगना नाला पर श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	123.159	0.000								
			लेस्लीगंज	कुन्दरहिया नाला पर श्रृ. चेकडैम	47/07.03.11	231.204	0.000								
					योग	1182.135	0.000	850.00	0.00	150.00	150.00	1000.00			
					सकल योग	2753.077	49.221	1875.00	200.00	184.00	-16.00	1859.00			
शुद्ध आवंटित राशि -ऋणात्मक ₹ सोलह लाख मात्र।															

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता(जयप्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभि.)(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव।